रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2013/चैत्र 27, 1935
No. 184] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2013/CHAITRA 27, 1935

रक्षोपाय महानिदेशालय

सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

रक्षोपाय जांच संबंधी सूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

[सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

विषय.—सोडियम नाइट्राइट का भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरूआत ।

सा.का.नि. 244(अ).—भारत में सोडियम नाइट्राइट के संवर्धित आयातो के कारण सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादकों को होने वाली क्षति/ गंभीर क्षति की चुनौती से उनकी रक्षा करने के लिए भारत में सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने हेतु मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने अपने कन्सलटेन्ट मै. टी पी एम सालिसिटर्स एंड कंसल्टेन्ट्स के जरिए सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत एक आवेदनपत्र दायर किया है।

2. **घरेलू उद्योग:** मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने दावा किया कि उनका उत्पाद देश में सोडियम नाइट्राइट के कुल उत्पादन का 86% से अधिक बनता है और वे देश में सोडियम नाइट्राइट के उत्पादन के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करते है और इसलिए यह याचिका दायर करने का उनका आधार बनता है। आवेदन के अलावा, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन निम्नलिखित के द्वारा भी किया जा रहा है:-

(क) पंजाब कैमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(ग) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3. **अंतर्वस्तु उत्पाद:** वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्राइट ($NaNO_2$) है। सोडियम नाइट्राइट एक आक्सिडाइजिंग एवं रिडयूसिंग एजेंट है। यह सफेद क्रिस्टलाइन पावडर है जिसका उपयोग अधिकांशत: फार्मास्युटिकल उद्योगों, रंजक उद्योग, लुब्रीकैण्ट्स, निर्माण रसायन, रबर ब्लोइंग एजेंट, हीट अंतरण लवण एवं मांस प्रसंस्करण, टैक्सटाइल्स आदि में किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल अमोनिया है, जिसे कैटालिस्ट की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस आक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।

सोडियम नाइट्राइट को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के सीमा शुल्क उपशीर्षक सं. 28341010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतक है और किसी भी तरह सेयह वर्तमान जांच के दायरे को प्रभावित नहीं करता है।

4. **जांच की अवधि:** आवेदक ने वर्तमान आवेदन के उद्देश्य के लिए चार वर्षों की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है। आवेदक ने सभी आंकड़े वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) प्रस्तुत किए है। जांच के लिए चयनित अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 है जो कि बाजार स्थितियों पर विचार करने और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की जरुरत का निर्धारण करने के लिए काफी लम्बी अवधि है।

5. **सूचना का स्रोत:** विचाराधीन उत्पाद के लिए दिसम्बर, 2012 तक के आयात आंकड़े डी जी सी आई एस, कोलकाता से प्राप्त किए गए हैं और विश्लेषण के लिए उन्ही आंकड़ों पर विचार किया गया है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए है जबकि फरवरी, 2013 तक के घरेलू आंकड़ों की स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक विभाग द्वारा जांच कर ली गई है और क्षति का विश्लेषण करने के लिए अधिप्रमाणित आंकड़ों पर विचार किया गया है।

6. **संवर्धित आयात (निरपेक्ष एवं संगत रुप से):** सोडियम नाइट्राइट का भारत को आयात कई देशों से और खासकर चीन एवं जर्मनी से किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट के आयातों ने निरपेक्ष रुप से तथा कुल उत्पादन की तुलना में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई है। वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13 (वार्षिकीकृत) के दौरान सोडियम नाइट्राइट का उत्पादन एवं आयात निम्नलिखित रहा:-

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.टन में)	अखिल भारतीय उत्पादन (मी.टन में)	कुल मांग (मी.टन में)	उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि का प्रतिशत
2009-10	14290	33191	39771	43
2010-11	12915	34600	39715	37
2011-12	14909	34605	40777	43
2012-13 (वार्षिकीकृत)	20397	33783	44850	60

आयात जो वर्ष 2009-10 में 14290 मी.टन से बढ़कर वर्ष 2012-13 (वार्षिकीकृत) में 20397 मी.टन हो गए जो 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कुल उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2009-10 में 43 प्रतिशत था, बढ़कर 2012-13 (वार्षिकीकृत) में 60 प्रतिशत हो गए।

7. क्षति: आवेदक ने दावा किया है कि सोडियम नाइट्राइट के संवर्धित आयातों ने सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादकों को क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है जैसा कि निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट है:

(क) उत्पादन: यद्यपि वर्ष 2010-11 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2009-10 के उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है, तथापि इसका उत्पादन जो वर्ष 2010-11 में 30473 मी.टन था घटकर वर्ष 2012-13(वार्षिकीकृत) में 29283 मी.टन रह गया।

वर्ष	मात्रा (मी.टन)
2009-10	29236
2010-11	30473
2011-12	30105
2012-13 (वार्षिकीकृत)	29283

(ख) क्षमता उपयोग: घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अभी हाल ही की अवधि में भारी गिरावट आई है और यह वर्ष 2010-11 के 98 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 71 प्रतिशत रह गई।

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मी.टन)	क्षमता उपयोग (%)
2009-10	31000	94
2010-11	31000	98
2011-12	31000	97
2012-13(वार्षिकीकृत)	41124	71

(ग) घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा: घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई। आवेदकों का वर्ष 2010-11 में बाजार हिस्सा 57 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2011-12 में केवल 52 प्रतिशत रह गया। आवेदकों के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 में और कमी हुई तथा यह केवल 44 प्रतिशत रह गया। आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 33 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2012-13 में 45 प्रतिशत हो गया।

वित्त वर्ष	कुल आयात मी.टन	घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.टन)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (मी.टन)	कुल मांग (मी.टन)	बाजार हिस्सा (%)		माल सूची (मी.टन)
					घरेलू उद्योग	आयात	
2009-10	14290	21526	3955	39771	54	36	170
2010-11	12915	22673	4127	39715	57	33	186
2011-12	14909	21368	4500	40777	52	37	200
2012-13 (वार्षिकीकृत)	20397	19953	4500	44850	44	45	838

(घ) बिक्री के स्तर में परिवर्तन: यद्यपि वर्ष 2009-10 की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010-11 में बढ़ोतरी हुई, परंतु यह वर्ष 2010-11 में हुई कुल 22673 मी.टन की बिक्री से घटकर वर्ष 2012-13 (वार्षिकीकृत) में केवल 19953 मी.टन रह गई। बिक्री में यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद आई है कि मांग जो वर्ष 2010-11 में 39715 मी.टन थी बढ़कर वर्ष 2012-13 में 44850 मी.टन हो गई। यह स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि संवर्धित आयातों के कारण घरेलू आयात की बिक्री एवं बाजार हिस्से में गिरावट आई तथा मालसूची में भारी वृद्धि हुई।

(ड.) लाभ/हानि- घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में उस स्थिति तक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को अब वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-

वित्त वर्ष	लाभप्रदायकता (रुपये/ मी.टन) (सूचीबद्ध)
2009-10	100
2010-11	131
2011-12	-2
2012-13	-163

8. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र में दो वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आई गहन गिरावट के मद्देनजर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का भी अनुरोध किया है।

9. इस आवेदन की जांच की गई और यह पाया गया कि सोडियम नाइट्राइट के संवर्धित आयातों ने सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादकों को प्रथम दृष्टया गंभीर क्षति कारित की है और गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रहा है और वह आयातों की इस वृद्धि ने घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति कारित की है तथा तदनुसार इस नोटिस के जरिए एक जांच प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचार निम्नलिखित पते पर प्रेषित कर सकते है-

महानिदेशक (रक्षोपाय)
भाई वीर सिह साहित्य सदन: द्वितीय तल
भाई वीर सिह मार्ग
गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001, भारत
टेलीफैक्स: 011-23741542/23741537
ई मेल: dgsafeguards@nic.in

11. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी अलग से पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

1563 GI/13-2

12. इस जांच से संबंधित कोई अन्य पक्षकार जो यह चाहता है कि उसके संबंध में हितबद्ध पक्षकार के रुप में विचार किया जाए तो वह अपना अनुरोध महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास उपर्युक्त पते पर इस तरह भेज सकता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के अंदर उनके पास अवश्य पहुंच जाए।

13. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(7) में उल्लिखित शर्तों के अनुरुप कोई हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

[फा. सं. डी-22011/03/2013]
जी. एस. सरना, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 17th April, 2013

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub.—Initiation of safeguard investigation concerning imports of Sodium Nitrite into India.

G.S.R. 244(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Deepak Nitrite Limited through his consultant M/S TPM solicitors & consultants for imposition of Safeguard Duty on imports of Sodium Nitrite into India to protect the domestic producers of Sodium Nitrite against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Sodium Nitrite into India.

2. **Domestic Industry**: M/S Deepak Nitrite Limited, claimed that his production account for more than 86% of the total production of Sodium Nitrite in the country & represent a major proportion of the Indian production of Sodium Nitrite in the country and thus have the standing to file the present petition. Apart from the applicant, the subject goods are being produced by the following:-

a. Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
b. National Fertilizers Limited,
c. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited,

3. **Product Involved**: The product under consideration in the present case is Sodium Nitrite (NaNO2). Sodium Nitrite is an oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in Pharmaceutical industries, Dye industries, Lubricants, Construction chemicals, Rubber blowing agent, Heat transfer salts, and in meat processing, Textiles, etc. Major raw material for production of Sodium Nitrite is Ammonia, which is converted into Nitrous Oxide at high temperature in presence of catalyst.

Sodium Nitrite is classified under Customs sub-heading nos. 28341010 of Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

4. **Period of Investigation (POI)**: The applicant for the purpose of of the present application has considered the data for four years period. The applicant has submitted all the data from 2009-10 to 2012-13 (upto Dec.2012). The period for investigation selected is 2009-10 to 2012-13 which is long enough in order to take into consideration the market conditions and to ascertain the need of imposition of Safeguard Duty.

5. **Source of information:** The import data for the product under consideration has been received from DGCIS, Kolkata till December,2012 and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2009-10 to 2012-13 (upto Dec.,2012) has been submitted by the domestic industry whereas the domestic data upto February,2013 has been verified by on site visit by the department to the extent deemed necessary and the verified data has been taken into consideration for injury analysis.

6. **Increased Imports (Absolute & in relative terms)**: Sodium Nitrite is imported into India from a number of countries, and primarily from China and Germany. The imports of Sodium Nitrite have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the total production. The imports and production of Sodium Nitrite during financial year 2009-10 to 2012-13(Annualised) remained as under:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	Total Demand(MT)	% of Increase in import with respect to production
2009-10	14290	33191	39771	43
2010-11	12915	34600	39715	37
2011-12	14909	34605	40777	43
2012-13 (Annualised)	20397	33783	44850	60

The Imports have increased from 14290MT in 2009-10 to 20397MT in 2012-13(Annualised) which shows an increase of 43%. Further the import with respect to total production increased from 43% in 2009-10 to 60% in 2012-13(Annualised).

7. **Injury**: The applicant have claimed that the increased imports of Sodium Nitrite have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Sodium Nitrite as indicated by the following factors:

a) *Production*: Though the production of the domestic industry increased in 2010-11 as compared to the year 2009-10, it declined from 30473 MT in 2010-11 to 29283 MT in 2012-13 (Annualised) .

YEAR	QTY(MT)
2009-10	29236
2010-11	30473
2011-12	30105
2012-13 (Annualised)	29283

b) *Capacity Utilization*: Capacity utilization of the domestic industry has declined significantly in the most recent period, from 98% in 2010-11 to 71% in 2012-13.

YEAR	Installed Capacity (MT)	Capacity utilized(%)
2009-10	31000	94
2010-11	31000	98
2011-12	31000	97
2012-13(Annualised)	41124	71

c) *Share of domestic producers in domestic demand*: Market share of domestic producers has fallen significantly. Applicants had a market share of 57% in 2010-11 which fell to 52% during 2011-12. The market share of the applicants further declined to 44% in 2012-13. The market share of import increases from 33% in 2010-11 to 45% in 2012-13

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Total Demand (MT)	Market Share(%)		Inventories (MT)
					DI	Import	
2009-10	14290	21526	3955	39771	54	36	170
2010-11	12915	22673	4127	39715	57	33	186
2011-12	14909	21368	4500	40777	52	37	200
2012- 13 (Annualised)	20397	19953	4500	44850	44	45	838

d) *Changes in the level of Sales* :- Though the sales of the domestic industry increased in 2010-11 as compared to the year 2009-10, it declined from 22673 MT in 2010-11 to 19953 MT in 2012-13(Annualised). This decline in sales is despite the fact that the demand increased from 39715 MT in 2010-11 to 44850 MT in 2012-13. This clearly shows that the domestic industry suffered loss in sales, market share and steep rise in inventory caused by increased imports.

e) *Profit/loss* – the profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2009-10	100
2010-11	131
2011-12	-2
2012-13	-163

8. The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of two year in their application. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration.

9. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of Sodium Nitrite have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Sodium Nitrite and such increase in imports has caused irreparable damage to the domestic industry and accordingly, it has been decided to initiate an investigation through this notice.

10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

11. All known interested parties are also being addressed separately.

12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 21 days from the date of this notice.

13. In terms of Rule 6(7) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by the other interested parties after the expiry of 30 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/03/2013]

G. S. SARNA, Director General

[1] Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.